email:ce.pprbd.upjn@gmail.com

दूरभाष–0522–2629406
फैक्स–0522–2275360

उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांकः– 94/1009/072–0009/PPRBD/20 दिनांक : 31/01/2020

विज्ञप्ति

जल निगम में अनुबन्ध के आधार पर 03 वरिष्ठ कन्सलटेन्ट (सिविल संवर्ग के 02 एवं वि0/यॉ0 संवर्ग के 01) के चयन हेतु वाक–इन–इण्टरव्यू।

जल निगम द्वारा शहरी जलापूर्ति/सीवरेज योजनाओं के नियोजन, प्राक्कलन विरचन, निविदा प्रकिया एवं निर्माण कार्यो में सुधार एवं गुणता लाने में सहयोग प्रदान करने एवं फील्ड से प्राप्त होने वाले प्राक्कलनों के परीक्षण हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम से सेवानिवृत्त डिग्री धारक 03 अभियंताओं (02 सिविल तथा 01 वि0/यॉ0) (सेवानिवृत वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता स्तर) को एक वर्ष हेतु अनुबन्ध के आधार पर वरिष्ठ कन्सलटेन्ट के रूप में नियुक्ति हेतु वाक–इन–इण्टरव्यू लिया जायेगा।

इच्छुक अभ्यर्थियों का वाक–इन–इण्टरव्यू दिनांक 12.02.2020 को अपरान्ह 03:00 बजे से उत्तर प्रदेश जल निगम के सभागार, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में आयोजित किया जायेगा। आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप उ0प्र0 जल निगम की वेबसाइट http://jn.upsdc.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है। इस पद हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन के साथ अपना बायोडाटा एवं सुसंगत अभिलेखों को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 10.02.2020 को अपरान्ह 17:00 बजे तक हार्ड कापी अथवा ई–मेल (ce.upjn.pprbd@gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

वरिष्ठ कन्सलटेन्ट के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता हेतु प्रतिबन्ध एवं शर्तें–

1. आवेदन करने वाले अभियंता अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत हों एवं उनको शहरी जलापूर्ति/सीवरेज योजनाओं के प्राक्कलन विरचन एवं निर्माण कार्य का उचित ज्ञान तथा कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
2. आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों में से ऐसे उत्कृष्ट/स्वस्थ अधिकारियों को तैनात किये जाने पर विचार किया जायेगा जो सेवाकाल में किसी वित्तीय/अनुशासनिक अनियमितता में दोषी न रहे हों, सेवानिवृत्त की तिथि के पूर्व की 10 वर्ष की उनकी सेवायें अतिउत्तम श्रेणी से न्यून न रही हों, उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हों।
3. संविदा/मानदेय के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों को रू० 60000/– प्रतिमाह संविदा धनराशि/मानदेय मात्र होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
4. संविदा/मानदेय पर तैनात अधिकारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष अवकाश देय होगा। इन अधिकारियों को अन्य कोई अवकाश यथा आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश या चिकित्सा अवकाश आदि देय नहीं होगा।
5. उक्त अधिकारियों द्वारा जल निगम के कार्यों हेतु की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में वही नियम लागू होगे जो जल निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए प्रभावी है तथा उसकी प्रतिपूर्ति सेवानिवृत्त के समय धारित पद की समकक्षता के अनुरूप की जायेगी।
6. योजित वरिष्ठ कन्सलटेन्ट को प्रथमतः छः माह हेतु (यदि इससे पूर्व में सेवा समाप्त न कर दिया जायें) तैनात किया जायेगा। उक्तानुसार योजित अधिकारियों की क्षमता, कार्य कुशलता एवं कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत उपयुक्तता के आधार पर सक्षम स्तर के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(राजीव निगम) 31/01/2020
मुख्य अभियन्ता (पी.पी.आर.बी.डी.)

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम के संज्ञान में लाने हेतु।
2. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
5. अधिशासी अभियन्ता, ई.डी.पी. सेल, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति व आवेदन पत्र का प्रारुप जल निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता (पी.पी.आर.बी.डी.)

उ0प्र0 जल निगम में वरिष्ठ कन्सलटेन्ट (अनुबन्ध के आधार पर) कार्य करने हेतु आवेदन–पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. जन्म तिथि –
4. वर्तमान पता (दूरभाष सहित) –

5. ई–मेल –
6. स्थाई पता (दूरभाष सहित) –

7. सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित विवरण –

क. सेवा निवृत्ति से पूर्व धारित अन्तिम पद का नाम –

ख. सेवा निवृत्ति की तिथि –

8. अनुभव का विवरण –

क्र0स0	पद	कराये गये कार्यों का विवरण	कब से	कब तक

9. शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता –

क्र0	डिग्री का नाम	संस्था/विश्वविद्यायल का नाम

10. अन्य विवरण :–

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान :